सा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा

पीठासीन अधिकारी श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 171/2016

उनवान

1. सद्दीक मोहम्मद पिता ईदूबक्ष मुसलमान निवासी कानिया तह. हुरड़ा

–प्रार्थी

बनाम

2. रमजान मोहम्मद पिता ईदू मुसलमान निवासी बरल।। तह.विजयनगर
3. रज्जाक मोहम्मद पिता ईदू मुसलमान निवासी कानिया त.हुरड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थित :– राजेश कुमार महता, वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251(क), राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:आदेश:–

दिनांक– 29.05.2017

1. प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम कानिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 584 रकबा 05 विस्वा, 585 रकबा 06 विस्वा जिस पर जाने के लिए कोई रास्ता विद्यमान नहीं है

2. उक्त खातेदारान से मैने आपसी सहमति के आधार पर उक्त आराजियात मे जाने रास्ता लेनेके लिए काफी वर्षो से प्रयास कर रहा हूं परन्तु मुझे आराजियात मे जाने के रास्ता नहीं मिला पाया है।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

3. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क अधियम सं. 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत नया रास्ता दिलवाने का आदेश प्रदान करावें। मुझे अपनी आराजियात मे जाने हेतु 15 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है एवं जिस माध्यम से लघुत्तम नजदीक मार्ग है जो आराजी नम्बर 584 रकबा 05 विस्वा, 585 रकबा 06 विस्वा ,681 व 664 पर स्थित आराजी नम्बर 559 रकबा 02 विस्वा 10 विस्वांसी, 560 रकबा 02 बीघा 04 विस्वा, 665/1 रकबा 02 बीघा 03 विस्वा 05

Scanned by CamScanner

बिस्वांसी , 665/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा 10 बिस्वांसी , 666/2 रकबा 18 बिस्वा 15 बिस्वांसी स्थित है , से सबसे लघुतम रास्ते से नया रास्ता बनाया जा सकता है। जिसमे किसी अन्य खातेधार को कम से कम कठिनाई होगी इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए मै सदैव तैयार हूं । अतः आपसे निवेदन है कि मेरे इस प्रर्थना पत्र को स्वीकार कर मुझे अपनी उक्त आराजियात मे जाने के लिए 15 फिट चौडा मार्ग दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर उनकी ओर से श्री महराज अली अधिवक्ता ने वकालत नामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा गया ।

3. ततपश्चात पत्रावली आज लोक अदालत केम्प मे प्रस्तुत हुई-वकील प्रार्थी उपस्थित हुये । तहसीलदार हुरड़ा से मौके की रिपोर्ट तलब की जाने पर तहसीलदार हुरड़ा द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है । जिस अनुसार वर्तमान मे प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होना तथा आराजी नम्बर 664 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा मे से 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 600 मे से 03 बीघा 10 बिस्वा मे से 01 बिस्वा , आराजी नम्बर 601 रकबा 06 बिस्वा मे से 01 बिस्वा इस प्रकार कुल रकबा 08 बिस्वा मे नया रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

4. तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई वक्त बहस प्रार्थी ने तहसीलदार की रिपोर्ट को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

5. मैंने वकील प्रार्थी की बहस को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा हैं। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 मौजा कानिया तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर आराजी नम्बर 584 रकबा 05 बिस्वा , आराजी नम्बर 585 रकबा 06 बिस्वा भूमि सद्दीक मोहम्मद पिता ईदू बक्ष मुसलमान सा. देह के नाम सा. देह. कानिया के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है ।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

6. यहां प्रार्थी का कथन है कि उनकी कृषि आराजियात मे आवागमन का कोई रास्ता नहीं है । चूंकि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए निकटतम रास्ता आराजी नम्बर 664, 600,

Scanned by CamScanner

601 मे से दिया जाना तहसीलदार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है ।

7. ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी अत्यधिक आवश्यक प्रतीत हुआ है तथा अन्य दुसरा कोई विकल्प न होने के कारण न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए तहसीलदार हुरड़ा द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावें ताकि वह अपने खेतो पर आ जा सके कृषि कार्य कर सके । तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि :–

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा कानिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 664 रकवा 06 बीघा 16 बिस्वा मे से 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 600 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा मे से रकवा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 601 रकवा 06 बिस्वा मे से 01 बिस्वा कुल 06 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण जाकिर हुसैन, हनीफ मोहम्म पिता मीरावक्ष मु. महरून बानू बेवा मीरावक्ष, ईशूबदीन पिता मांगी लाल मुसलमान निवासी कानिया के खाते मे से कम की जाकर गै.मू. रास्ते मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । चूंकि अप्रार्थी प्रतिकर की रकम प्राप्त करने पर सहमत नहीं होने से अधिनियम की धारा–251 क के नियम–69(1) मे दिये गये प्रावधानानूसार राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम–58 के उप नियम (2) के अधिन अवधारित दरों (डी.एल.सी.) का दुगुनी राशि प्रार्थी के द्वारा जमा करायी जाने पर तहसीलदार हुरड़ा को तहरीर जारी की जावें । उप पंजियक हुरडा के द्वारा भूमि प्रतिकर की राशि 940896/– रूपये होना वताया गया है । वकील प्रार्थीने उक्त राशि जमा कराना चाहने से तहसीलदार हुरडा को लिखा जावें की प्रार्थी से भूमि प्रतिकर की राशि 940896/–रूपये प्राप्त कर अमानत मद मे जमा करावें तथा भूमि प्रतिकर की राशि जमा होने के पश्चात संलग्न नक्शा के अनुसार मौजा कानिया तहसील हुरड़ा की आराजी नम्बर 664 रकवा 06 बीघा 16 बिस्वा मे से 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 600 रकवा 03 बीघा 10 बिस्वा मे से रकवा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 601 रकवा 06 बिस्वा मे से 01 बिस्वा कुल 06 बिस्वा भूमि खातेदार के खाते मे से कम की जाकर गै.मू. रास्ता सार्वजनिक बिलानाम मे दर्ज किया जावें । पत्रावली शुमार फैसल होकर मूलवाद के साथ सलंग्न रहे। आदेश आज दिनांक 29.05.2017 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner